

(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 28/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त, 2022

सा.का.नि.... (अ), केंद्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 2018 (2018 का 13) की धारा 112 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात का समाधान होने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2022-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 30 जून, 2022, जिसे संख्या सा.का.नि. 498 (अ), दिनांक 30 जून, 2022 में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(i) क्रमांक 2 के सामने, कॉलम (4) में प्रविष्टि के लिए, प्रविष्टि "रु. 1.50 प्रति लीटर" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना 1 सितंबर, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फाइल संख्या 354/15/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार